

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति  
सूचना

1

राज्य सरकार द्वारा राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में, उनको आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा-48 के अंतर्गत 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80% से घटाकर 0.20% के रूप में पुनर्निधारित किया गया है।

  
(बी० कार्तिकेय धनजी)  
सचिव,  
गन्ना उद्योग विभाग,  
बिहार, पटना।

(2)

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य के युवक/युवतियों को स्थानीय रोजगार/उद्योगों की उपलब्धता एवं भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय बाजार के माँग के अनुरूप नये एवं रोजगारपरक लोकप्रिय व्यवसाय प्रारम्भ किया जा रहा है, जिससे वहाँ पर उन्नत किस्म का प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए युवक/ युवतियों की सुयोग्यता बढ़ाई जा सकेगी एवं आधुनिक/ लोकप्रिय व्यवसाय में प्रशिक्षित कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इसके लिए "पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना" राज्य योजनान्तर्गत 05 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 03 व्यवसायों में 07 यूनिट परिवर्द्धन एवं 07 अनुदेशकों के पद सृजन किया जा रहा है, जिस पर प्रत्येक वर्ष रू0- 35.46 लाख (रूपये पैंतीस लाख छियालीस हजार) मात्र का व्यय होगा।

  
सचिव

श्रम संसाधन विभाग



बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

3

प्रेस-नोट

बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

*Majid*  
14.2.2025

(डॉ. बी. राजन्दर)  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(4)

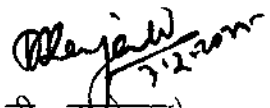
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के अनुसूचित जाति घटक अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन गया जिला अन्तर्गत कुल 629 पथों, कुल लम्बाई - 1241.990 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 955.75313 करोड़ रुपये (नौ सौ पचपन करोड़ पचहत्तर लाख इकतीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य गया जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(5)

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन भागलपुर जिला अन्तर्गत कुल 244 पथों, कुल लम्बाई - 360.283 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 304.3453 करोड़ रुपये (तीन सौ चार करोड़ चौतीस लाख तिरेपन हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य भागलपुर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(6)

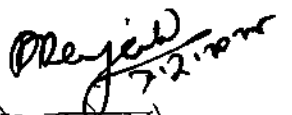
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन गोपालगंज जिला अन्तर्गत कुल 284 पथों, कुल लम्बाई-629.870 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 546.63623 करोड़ रुपये (पाँच सौ छयालिस करोड़ तिरसठ लाख बासठ हजार तीन सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य गोपालगंज जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

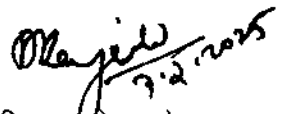
7

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के अनुसूचित जाति मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन जमुई जिला अन्तर्गत कुल 144 पथों, कुल लम्बाई - 410.627 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 342.1933 करोड़ रुपये (तीन सौ ब्यालीस करोड़ उन्नीस लाख तैंतीस हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य जमुई जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।



(डॉ० बी० राजेन्द्र)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(8)

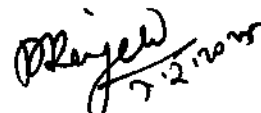
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**प्रेस नोट**

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन मुंगेर जिला अन्तर्गत कुल 42 पथों, कुल लम्बाई - 36.062 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 30.64580 करोड़ रुपये (तीस करोड़ चौसठ लाख अन्ठावन हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य मुंगेर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

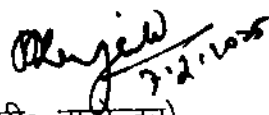
9

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन रोहतास जिला अन्तर्गत कुल 349 पथों, कुल लम्बाई - 851.472 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 784.36133 करोड़ रुपये (सात सौ चौरासी करोड़ छत्तीस लाख तेरह हजार तीन सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य रोहतास जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

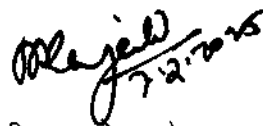
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**प्रेस नोट**

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत कुल 170 पथों, कुल लम्बाई - 249.819 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 279.00989 करोड़ रुपये (दो सौ उन्नासी करोड़ अठानवे हजार नौ सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य सीतामढ़ी जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं बहुमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(11)

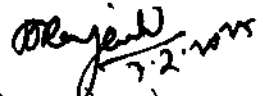
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन बेगूसराय जिला अन्तर्गत कुल 226 पथों, कुल लम्बाई-339.259 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 269.1758 करोड़ रुपये (दो सौ उनहत्तर करोड़ सत्रह लाख अठावन हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य बेगूसराय जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(12)

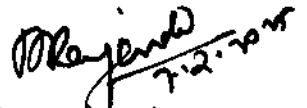
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन सिवान जिला अन्तर्गत कुल 416 पथों, कुल लम्बाई-622.532 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 603.12503 करोड़ रुपये (छः सौ तीन करोड़ बारह लाख पचास हजार तीन सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य सिवान जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

13

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन बक्सर जिला अन्तर्गत कुल 293 पथों, कुल लम्बाई - 594.586 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 506.37437 करोड़ रुपये (पाँच सौ छः करोड़ सैंतीस लाख तेतालीस हजार सात सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य बक्सर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*Prakash*  
(डॉ० बी० रामेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

14

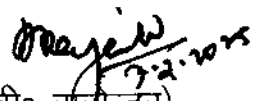
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**प्रेस नोट**

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन पटना जिला अन्तर्गत कुल 541 पथों, कुल लम्बाई - 790.766 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 678.01700 करोड़ रुपये (छः सौ अठहत्तर करोड़ एक लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य पटना जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

15

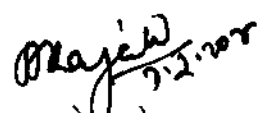
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन शेखपुरा जिला अन्तर्गत कुल 115 पथों, कुल लम्बाई-166.412 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 116.81290 करोड़ रुपये (एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख उनतीस हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य शेखपुरा जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(16)

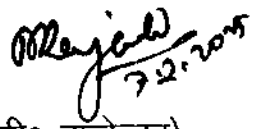
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**प्रेस नोट**

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के अनुसूचित जाति मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कैमूर जिला अन्तर्गत कुल 157 पथों, कुल लम्बाई - 384.807 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 344.45471 करोड़ रुपये (तीन सौ चौवालीस करोड़ पैतालिस लाख सैतालीस हजार एक सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य कैमूर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण डाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

17

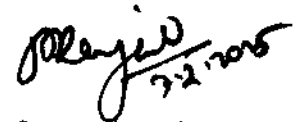
बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन वैशाली जिला अन्तर्गत कुल 441 पथों, कुल लम्बाई - 646.531 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 592.8475 करोड़ रुपये (पाँच सौ बानवे करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य वैशाली जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।



(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

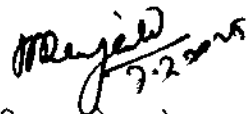
(18)

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के अनुसूचित जाति घटक अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन नवादा जिला अन्तर्गत कुल 432 पथों, कुल लम्बाई - 641.699 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 489.91105 करोड़ रुपये (चार सौ नवासी करोड़ इक्यानबे लाख दस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य नवादा जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(19)

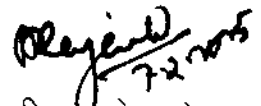
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**प्रेस नोट**

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन अरवल जिला अन्तर्गत कुल 125 पथों, कुल लम्बाई - 150.578 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 124.31116 करोड़ रुपये (एक सौ चौबीस करोड़ इकतीस लाख ग्यारह हजार छः सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य अरवल जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(20)

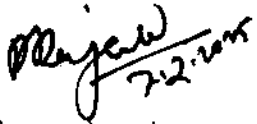
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**प्रेस नोट**

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन शिवहर जिला अन्तर्गत कुल 88 पथों, कुल लम्बाई - 130.336 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 142.61615 करोड़ रुपये (एक सौ बयालीस करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार पाँच सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य शिवहर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

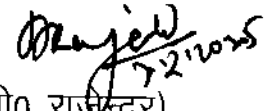
(2)

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन लखीसराय जिला अन्तर्गत कुल 54 पथों, कुल लम्बाई - 92.065 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 86.2462 करोड़ रुपये (छियासी करोड़ चौबिस लाख बासठ हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य लखीसराय जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।



(डॉ० बी० राजेंद्र)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(22)

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**प्रेस नोट**

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुल 614 पथों, कुल लम्बाई - 992.922 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 732.99243 करोड़ रुपये (सात सौ बत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख चौबीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य मुजफ्फरपुर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*(Signature)*  
7-2-2024

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(23) (65)

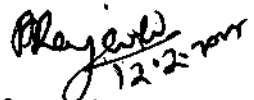
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन जहानाबाद जिला अन्तर्गत कुल 166 पथों, कुल लम्बाई- 273.219 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 225.00342 करोड़ रुपये (दो सौ पच्चीस करोड़ चौतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य जहानाबाद जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(56)

25

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन किशनगंज जिला अन्तर्गत कुल 204 पथों, कुल लम्बाई - 307.965 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 267.8787 करोड़ रुपये (दो सौ सड़सठ करोड़ सतासी लाख सतासी हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य किशनगंज जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*राजेन्द्र*  
12.2.2025  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(25) (82)

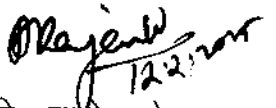
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुसूचण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन सहरसा जिला अन्तर्गत कुल 188 पथों, कुल लम्बाई - 328.161 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 275.39341 करोड़ रुपये (दो सौ पचहत्तर करोड़ उनचालीस लाख चौतीस हजार एक सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य सहरसा जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन सुपौल जिला अन्तर्गत कुल 287 पथों, कुल लम्बाई- 468.074 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन /नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 339.42655 करोड़ रुपये (तीन सौ उनतालीस करोड़ बयालीस लाख पैसठ हजार पांच सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य सुपौल जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*Majeed*  
12.2.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(55)

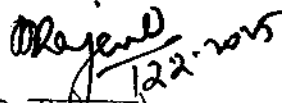
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

**प्रेस नोट**

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन अररिया जिला अन्तर्गत कुल 60 पथों, कुल लम्बाई - 183.624 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 235.1872 करोड़ रुपये (दो सौ पैंतीस करोड़ अठारह लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य अररिया जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

28 65

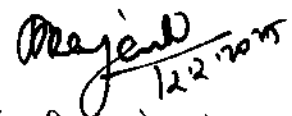
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन समस्तीपुर जिला अन्तर्गत कुल 181 पथों, कुल लम्बाई - 382.940 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 303.61053 करोड़ रुपये (तीन सौ तीन करोड़ एकसठ लाख पाँच हजार तीन सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य समस्तीपुर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
12.2.2024

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

79  
29

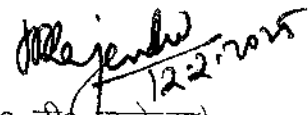
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कुल 497 पथों, कुल लम्बाई-707.114 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 557.91696 करोड़ रुपये (पाँच सौ सत्तावन करोड़ इक्यानबे लाख उनहत्तर हजार छः सौ) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य पूर्वी चम्पारण जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

30

40

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन दरभंगा जिला अन्तर्गत कुल 474 पथों, कुल लम्बाई - 728.681 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 712.14701 करोड़ रुपये (सात सौ बारह करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य दरभंगा जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*Majumdar*  
12.12.2024

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन मधेपुरा जिला अन्तर्गत कुल 160 पथों, कुल लम्बाई-332.173 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन /नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 249.70084 करोड़ रुपये (दो सौ उनचास करोड़ सत्तर लाख आठ हजार चार सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य मधेपुरा जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*Mejender*  
12.2.2025  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

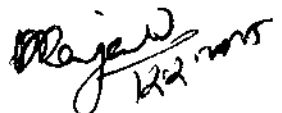
32

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन बाँका जिला अन्तर्गत कुल 395 पथों, कुल लम्बाई - 825.028 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन /नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 558.03390 करोड़ रुपये (पाँच सौ अट्ठावन करोड़ तीन लाख उनतालीस हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य बाँका जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

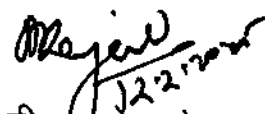
(33)

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन पूर्णिया जिला अन्तर्गत कुल 365 पथों, कुल लम्बाई - 693.500 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 703.36437 करोड़ रुपये (सात सौ तीन करोड़ छत्तीस लाख तैंतालीस हजार सात सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य पूर्णिया जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० जजेंद्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(34) 59

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन कटिहार जिला अन्तर्गत कुल 296 पथों, कुल लम्बाई - 564.153 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 578.33708 करोड़ रुपये (पाँच सौ अठहत्तर करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य कटिहार जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*Rejendra*  
12.2.2025  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

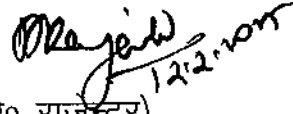
35 (69)

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन नालन्दा जिला अन्तर्गत कुल 211 पथों, कुल लम्बाई - 326.964 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 263.43572 करोड़ रुपये (दो सौ तिरसठ करोड़ तेतालीस लाख संतावन हजार दो सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य नालन्दा जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(63)

36

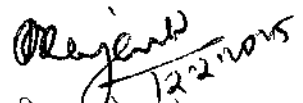
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत कुल 278 पथों, कुल लम्बाई-464.007 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 391.9348 करोड़ रुपये (तीन सौ इक्यानबे करोड़ तिरानवे लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य पश्चिम चम्पारण जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्द्र)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

37

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन सारण जिला अन्तर्गत कुल 513 पथों, कुल लम्बाई- 788.213 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन /नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 690.12054 करोड़ रुपये (छः सौ नब्बे करोड़ बारह लाख पांच हजार चार सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य सारण जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*Majid*  
12/12/2024

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

32

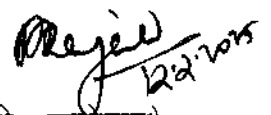
**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य घटक के अधीन औरंगाबाद जिला अन्तर्गत कुल 576 पथों, कुल लम्बाई-1251.860 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 1125.15408 करोड़ रुपये (एक हजार एक सौ पच्चीस करोड़ पंद्रह लाख चालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य औरंगाबाद जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

  
(डॉ० बी० राजेन्दर)  
अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

39

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन भोजपुर जिला अन्तर्गत कुल 330 पथों, कुल लम्बाई - 672.401 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 638.38377 करोड़ रुपये (छः सौ अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख सैंतीस हजार सात सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य भोजपुर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*Majumdar*  
12.12.2025

(डॉ० बी० राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

(92)

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" के सामान्य मद अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन मधुबनी जिला अन्तर्गत कुल 706 पथों, कुल लम्बाई - 1236.970 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 1221.42728 करोड़ रुपये (बारह सौ इक्कीस करोड़ बयालिस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य मधुबनी जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।

*Majeed*  
12.2.2024

(डॉ० बी० राजेन्द्र)

अपर मुख्य सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग।

08/50

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या-SIPB/SGST 2006 Policy/263/2024

प्रेस नोट

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से आच्छादित ऐसी इकाईयाँ जो नीति में नीहित प्रावधान के तहत अनुदान प्राप्ति की अर्हता रखते हो को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति किया जा सकेगा, बशर्ते :-

(क) संबंधित इकाई को जिला स्तरीय सिंगल विण्डो क्लियरेंस कमिटी अथवा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद का अनुमोदन प्राप्त हो।

(ख) संबंधित इकाई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की प्रभावी अवधि के दौरान या औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के प्रारम्भ होने के पश्चात अभ्यावेदन देकर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से आच्छादित करने के अनुरोध के पश्चात अनुरोधित तिथि तक उत्पादन में आयी हो।

(ग) संबंधित इकाई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्य सभी अर्हताएँ रखती हो।

(घ) औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 से आच्छादित अर्हता प्राप्त उद्योग को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग के संकल्प सं0-108, दिनांक-20.01.2020 में वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

30/1/2024  
(बन्दना प्रेयषी)  
सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(42)

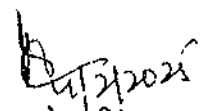
बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के परिपत्रांक-1876 दिनांक-  
19.10.2006 के आलोक में।

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना" का विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 तक होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित व्यय की राशि ₹ 295.44 करोड़ (दो सौ पंचानवे करोड़ चौवालीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति।

राज्य के अन्तर्गत उत्पादित उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन, आधुनिक तथा नई तकनीक लगाने हेतु इस योजना अन्तर्गत सभी श्रेणी के व्यक्तिगत निवेशकों/उद्यमी को सूक्ष्म खाद्य उद्योग अधिष्ठापित करने हेतु 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10.00 (दस) लाख रुपये एवं समूह में 35 प्रतिशत का पूँजीगत अनुदान का प्रावधान है।

इस योजना के बारे में निवेशको/उद्यमियों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से भी जागरूक किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक निवेशक/उद्यमी इस योजना का महत्व एवं जानकारी प्राप्त कर उद्योग स्थापित कर सकेंगे।

  
(बन्दना प्रेयषी)

सचिव  
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

(9)

(43)

**बिहार सरकार**  
**मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**  
**(निबंधन)**

**प्रेस नोट**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा अंचल में स्थायी रूप से नवसृजित अवर निबंधक कार्यालय, सोनवर्षा के क्षेत्राधिकार में सोनवर्षा एवं पतरघट अंचल का संपूर्ण क्षेत्र रखा जाना प्रस्तावित है। इस निमित्त सोनवर्षा एवं पतरघट अंचल की आम जनता को दस्तावेजों का निबंधन कराना काफी सुलभ होगा, जिन्हें अवर निबंधक कार्यालय, गणपतगंज में निबंधन कराने हेतु कमशः 35 कि०मी० एवं 25 कि०मी० की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही, निबंधन कार्यालय में प्रशासनिक नियंत्रण में सुविधा प्राप्त होगी तथा राजस्व संग्रहण का भी अधिक कारगर ढंग से अनुश्रवण किया जा सकेगा।

उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद का सृजन होगा। इससे रोजगार की संख्या में भी वृद्धि होगी।

  
(विनोद सिंह गुंजियाल)  
सरकार के सचिव

(५५)

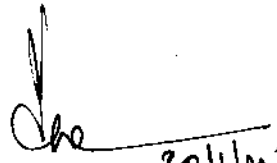
बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत बेतिया जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि रुपये 68,78,16,000/- (अड़सठ करोड़ अठहत्तर लाख सोलह हजार ०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बेतिया जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

बेतिया जलापूर्ति योजनान्तर्गत 8423 गृह जल संयोजन के लिए 4 ट्यूबवेल, 4 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 3 जलमिनार, 3 जलमिनार कैम्पस, 1.150 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 109.08 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क कार्य किया जायेगा, जिससे बेतिया शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।

  
(अमय कुमार सिंह),

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

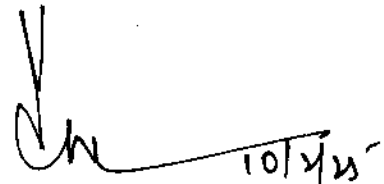


बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना

43

॥ प्रेस नोट ॥

“समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र” के सीमांकन एवं घोषणा की स्वीकृति  
प्रदान की गयी।

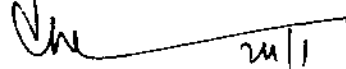
  
( अमय कुमार सिंह )

सरकार के सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना

॥ प्रेस नोट ॥

बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के वर्तमान नियम-10(1) को नए नियम-10(1) के रूप में प्रतिस्थापित करने हेतु बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2025 पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

  
( अमय कुमार सिंह )

सरकार के सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेस नोट

47  
4/8

“वन हेल्थ प्लेटफॉर्म” योजना के तहत महत्वपूर्ण जूनोटिक रोगों के लिए तीव्र नैदानिक परीक्षणों का मानकीकरण, जूनोटिक तपेदिक, ब्रुसेल्लोसिस, रेबीज आदि रोगों की सतत निगरानी, पशुधन आबादी में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की निगरानी और मनुष्यों के साथ इसका सहसंबंध, रोगजनक स्रोतों को खोजने के लिए सीवेज और पर्यावरणीय नमूनों का मेटाजेनोमिक विश्लेषण आदि का कार्य किया जाना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक की अवधि में चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत राज्य में उच्च जोखिम वाले जूनोटिक रोगजनकों के अध्ययन, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की निगरानी तथा विष एवं अवशेष विश्लेषण हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में “वन हेल्थ प्लेटफॉर्म” की स्थापना पर कुल रुपये 26,55,86,000/- लाख (छब्बीस करोड़ पचपन लाख छियासठ हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

11/2/25

अपर मुख्य सचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

बिहार, पटना

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

48

संचिका संख्या-15/पी 5-18/2022

प्रेस नोट

राज्य योजनान्तर्गत जय प्रकाश विश्वविद्यालय अन्तर्गत राजेन्द्र कॉलेज, छपरा के परिसर में शैक्षणिक भवन (विज्ञान संकाय) (जी+4), कला संकाय (जी+4), सभागार (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित जी+1), चहारदीवारी (600 मीटर) तथा परिसर विकास हेतु कुल रू० 61,42,83,604/- (इकसठ करोड़ बयालिस लाख तेरासी हजार छः सौ चार रुपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(बैद्यनाथ यादव)  
सचिव

संचिका संख्या : 09/पो0यो0-02/2024  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

59  
24

प्रेस नोट

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका/बालक पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत पात्र लाभुकों को अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रैल माह से पोशाक की राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बालिका/बालक पोशाक योजना के तहत लाभुकों को दी जाने वाली राशि का सदुपयोग होगा तथा छात्रा/छात्र पोशाक में विद्यालय आ सकेंगे।

(बैद्यनाथ यादव)

सचिव

शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

50

संचिका संख्या-15/पी 5-18/2022

प्रेस नोट

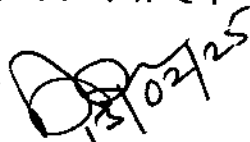
राज्य योजना अन्तर्गत पटना विश्वविद्यालय अन्तर्गत मगध महिला महाविद्यालय, पटना के परिसर में विज्ञान भवन (G+6) एवं ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु कुल रू0 47,23,95,000/- (सैतालीस करोड़ तेईस लाख पंचानवे हजार रुपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(बैद्यनाथ यादव)  
सचिव

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस नोट

श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना की संविदा अवधि दिनांक-28.02.2025 को समाप्त हो रही है। सम्प्रति इनकी सराहनीय कार्यकलाप एवं सेवा की आवश्यकता को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका संख्या-3(2)(ख)(V) को शिथिल करते हुए अगले 01 (एक) वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति होने, जो पहले हो तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

  
(निशीथ वर्मा)

सरकार के अपर सचिव।